

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 31 / 08 / 2020

क्रमांक 1460 / 1786 / 2020 / 1 / 59 : राज्य शासन एतद्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 18.08.2020 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम / पदनाम / जिला	समयमान वेतनमान प्रथम / द्वितीय / तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक / वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1.	डॉ. तेजसिंह घाघरे आ.चि.अ. जिला-जबलपुर	प्रथम नवीन 27.06.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 27.06.2016
2	डॉ. मनोज किरार आ.चि.अ. जिला-बैतूल	प्रथम नवीन 02.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 02.07.2016
3	डॉ. सुनील मारु आ.चि.अ., जिला -उज्जैन	प्रथम नवीन 04.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 04.07.2016
4	डॉ. शांतिलाल वर्मा, आ.चि.अ., जिला -सतना	प्रथम नवीन 04.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 04.07.2016
5	डॉ. सुनीता अतुलकर आ.चि.अ., जिला -भोपाल	प्रथम नवीन 11.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 11.07.2016
6	डॉ.मौसमी कुल्हारे, आचिअ., जिला -रायसेन	प्रथम नवीन 03.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 03.07.2016
7	डॉ. सुशील कुमार प्रजापति आचिअ., जिला -दतिया	प्रथम नवीन 30.06.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 30.06.2016

2

8	डॉ. सुलभा बन्सौड, आचिअ., जिला -भोपाल	प्रथम नवीन 01.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 01.07.2016
9	डॉ. कविता गढवाले, आचिअ., जिला -बुरहानपुर	प्रथम नवीन 11.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 11.07.2016
10	डॉ. विनोद कुमार शाक्य, आचिअ., जिला -मुरैना	प्रथम नवीन 15.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 15.07.2016
11	डॉ. मनोज कोरी, आचिअ., जिला -कटनी	प्रथम नवीन 04.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 04.07.2016
12	डॉ. रश्मि मौर्य आचिअ., जिला -मंदसौर	प्रथम नवीन 28.06.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 28.06.2016
13	डॉ. प्रमिला रघुनाथ यावतकर आचिअ., जिला -छिन्दवाड़ा	प्रथम नवीन 30.06.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 30.06.2016
14	डॉ. ताराचंद आर्य आचिअ., जिला -शिवपुरी	प्रथम नवीन 27.06.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 27.06.2016
15	डॉ.भरत कुमार उज्जैनिया आचिअ., जिला-ग्वालियर	प्रथम नवीन 10.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 10.07.2016
16	डॉ. राजेश कुमार पाराशर आचिअ., जिला -भिण्ड	प्रथम नवीन 16.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 16.07.2016
17	डॉ. श्रीराम करोजिया आचिअ., जिला -होशंगाबाद	प्रथम नवीन 04.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 04.07.2016
18	डॉ रमेश चन्द मुवेल आचिअ., जिला -धार	प्रथम नवीन 15.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 15.07.2016
19	डॉ.हीरालाल ठाकुर आचिअ., जिला -अलीराजपुर	प्रथम नवीन 04.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 04.07.2016
20	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह आचिअ., जिला -अनूपपुर	प्रथम नवीन 14.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 14.07.2016

21	डॉ. गोपीचन्द सोलंकी आचिअ., जिला-खरगौन	प्रथम नवीन 01.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 01.07.2016
22	डॉ. कलमसिंह बारिया आचिअ., जिला-धार	प्रथम नवीन 26.06.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 26.06.2016
23	डॉ. मनोज चौहान आचिअ., जिला -बड़वानी	प्रथम नवीन 18.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 18.07.2016
24	डॉ. विनोद सिंह आचिअ., जिला -उमरिया	प्रथम नवीन 18.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 18.07.2016
25	डॉ. उपेन्द्र सिंह धुर्वे आचिअ., जिला -सिंगरौली	प्रथम नवीन 01.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 01.07.2016
26	डॉ. कमलेश कुमार गोड आचिअ., जिला -नरसिंहपुर	प्रथम नवीन 14.07.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 14.07.2016
27	डॉ. रत्ना परस्ते आचिअ., जिला -विदिशा	प्रथम नवीन 27.06.2016 (15600-39100+6600)	दिनांक 01.07.2016
28	डॉ. अक्षय कुमार जैन होचिअ., जिला -होशंगाबाद	प्रथम नवीन 16.11.2017 (15600-39100+6600)	दिनांक 16.11.2017
29	डॉ. राहुल शर्मा होचिअ., जिला -उज्जैन	प्रथम नवीन 05.12.2017 (15600-39100+6600)	दिनांक 05.12.2017
30	डॉ. अनुजा सक्सेना होचिअ., जिला -भोपाल	प्रथम नवीन 16.11.2017 (15600-39100+6600)	दिनांक 16.11.2017
31	डॉ. सत्यनारायण वर्मा होचिअ., जिला -खण्डवा	प्रथम नवीन 16.11.2017 (15600-39100+6600)	दिनांक 16.11.2017
32	डॉ. मनोज कुमार वर्मा होचिअ., जिला -बैतूल	प्रथम नवीन 18.11.2017 (15600-39100+6600)	दिनांक 18.11.2017
33	डॉ. बलराजसिंह चौहान होचिअ., जिला -रतलाम	प्रथम नवीन 20.11.2017 (15600-39100+6600)	दिनांक 20.11.2017

34	डॉ. प्रीति कुकरेले बागड़ी जिला -इन्दौर	प्रथम नवीन 17.11.2017 (15600-39100+6600)	दिनांक 17.11.2017
----	---	--	-------------------

2/- डॉ.दिनेश कुमार अहिरवार, डॉ.हिम्मत सिंह डावर एवं डॉ.प्रमिला चौहान, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएँ जिला आयुष अधिकारी के उच्च पद पर हो जाने पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।

3/- डॉ.अभिलाषा आम्रवंशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला जबलपुर के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2013 एवं 2014, डॉ.सत्येन्द्र कुमार ब्यौहार, आ.चि.अ. जिला जबलपुर के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2013, डॉ.संतोष कुमार परस्ते, आ.चि.अ. जिला डिण्डोरी के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2013, डॉ. मनीष कुमार कोरचे, आ.चि.अ. जिला जबलपुर के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2016, 2017, 2018, डॉ. जितेन्द्र पन्दे, आ.चि.अ. जिला मण्डला के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2015, डॉ. विजय कुमार चौके, आ.चि.अ. जिला सिवनी के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2013, 2014, डॉ.पंकज पाटीदार, हो.चि.अ. जिला उज्जैन के वर्ष 2015, 2016, 2017, एवं डॉ.राजेन्द्र कुमार राम, हो.चि.अ. जिला मण्डला के वर्ष 2014, 2017, 2018 में प्रतिकूल टीका के निराकरण उपरांत समयमान वेतनमान पर विचार किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है।


5/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए -

- 5.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाये।
- 5.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।
- 5.3 जिला आयुष अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम समयमान वेतनमान की स्वीकृत दिनांक से विगत पांच वर्षों में कोई दण्ड प्रभावशील तो नहीं रहा है। यदि उक्त अवधि में दण्ड प्रभावशील रहा है तो उनसे संबंधित समयमान वेतनमान का यह स्वीकृती आदेश स्वमेव निरस्त माना जाए।
- 5.4 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

5

6/ उपरोक्त प्रथम समयमान वेतनमान, वेतन निर्धारण के समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


31-8-2020

(कलावती उईके)

अवर सचिव



म. प्र. शासन, आयुष विभाग


भोपाल, दिनांक 31/08/2020

पृष्ठांकन क्रमांक 1461/1786/2020/1/59

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....।
- 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
- 6- संबंधित संभागीय आयुष अधिकारी,
- 7- संबंधित जिला आयुष अधिकारी
- 8- संबंधित डॉ.....
- 9- आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


31-8-2020

अवर सचिव



मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

